प्रकरण संख्या 22 / 18 RCMS ID-2018 / 00095 ता0रजू 26.11.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. गोविन्दसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह आयु 50 साल जाति राजपूत निवासी विक्रम नगर, मुरैना, जिला मुरैना मध्यप्रदेश
2. रुकमणी पुत्री महेन्द्रसिंह पत्नि धर्मेन्द्रसिंह आयु 40 साल जाति राजपूत निवासी हाल भिण्ड जिला भिण्ड मध्यप्रदेश — अपीलाण्ट्स

बनाम

1. त्हसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील करौली जिला करौली राज.
2. राघवेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह आयु 45 साल जाति राजपूत निवासी न्यू गांधी कॉलोनी मुरैना जिला मुरैना मध्यप्रदेश — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील बनाराजगी आदेश नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 08.03.1986 जिसकी रूह से नामांतरकरण संख्या 207 ग्राम बिचपुरी तहसील करौली स्वीकृत किया गया है तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 04.02.2020

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 207 दिनांक 08.03.1986 बाके ग्राम बिचपुरी तहसील करौली जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 08.03.1986 ग्राम बिचपुरी तहसील करौली खिलाफे कानून, विधि विरुद्ध, एकपक्षीय है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय दिनांक 03.11.08.03.86 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये बिना पारित किया है। अपीलाण्ट्स शांति देवी पत्नि रघुनाथ पाल की पुत्री अशोक पत्नि महेन्द्रसिंह के पुत्र पुत्रियां हैं। रघुनाथ पाल की वेवा शान्ति देवी भूमि में 1/4 हिस्सा की खातेदार रही है। शान्ति देवी मरी तब अपीलाण्ट्स जिन्दा थे एवं अपीलाण्ट्स की माता अशोक जो शान्ति वेवा रघुनाथ पाल की पुत्री है, वह भी जिन्दा थी। अपीलाण्ट की माता, शान्ति देवी के स्वर्गवासी होने के बाद स्वर्गवासी हुई हैं। राजकुमारी स्त्री बहादुर पाल अर्थात् वेवा बहादुरपाल वारिस नहीं थी। पटवारी हल्का ने शान्ति देवी वेवा रघुनाथ पाल का लाऔलाद फौत होना असत्य व निराधार दर्ज कर नामांतरकरण तस्दीक किया है जो विधि विरुद्ध है। वेवा बहादुर पाल (राजकुमारी) के हक में तस्दीक किया गया नामांतरकरण विला आधार है, अनाधिकार है। वेबा रघुनाथपाल की पुत्री अशोक पत्नि महेन्द्रसिंह वक्त नामांतरकरण जिन्दा थी और अशोक पुत्री रघुनाथपाल ही वारिस रही है और हम अपीलाण्ट्स अशोक की मृत्यु हो जाने से भूमि के खातेदार है, अधिकारी हैं। अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपीलाण्ट्स खातेदारी अधिकार भूमि में है। इस नमांतरकरण कार्यवाही से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं हुई है। अपीलाण्ट्स को उक्त नामान्तरकरण को चुनौती देने का अधिकार है। राजकुमारी बेवा बहादुरपालसिंह के द्वारा भी यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाण्ट्स बेवा बहादुरपाल की वेवा रघुनाथपाल की लड़की अशोक के लड़के लड़कियां है। वेबा बहादुरपाल ने रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 राघवेन्द्र के हक में वसीयत की है जो स्पष्ट करती है

कि अपीलाण्ट्स व रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 बेवा रघुनाथपाल की पुत्री अशोक के पुत्र पुत्रियां है इसलिए राघवेन्द्र को वेबा बहादुरपाल का वसीयत वारिस होने से रेस्पोण्डेण्ट बनाया गया है। वेबा बहादुरपाल निःसंतान स्वर्गवासी हुई हैं। राघवेन्द्र रेस्पोण्डेण्ट नंबर 2 उनका वसीयती वारिस है। उक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 25.10.2018 के दिवस पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल मांग करने पर वेबा रघुनाथपाल का इन्द्राज नहीं होने पर हुई है। दिनांक 25.10.2018 को नकल आवेदन करने पर दिनांक 30.10.2018 को प्राप्त हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को इस नामांतरकरण बाबत् कोई जानकारी नहीं रही है। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 वेवा रघुनाथपाल की हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज काश्त हैं। दिनांक 08.03.86 से नकल प्राप्ति दिनांक 30.10.2018 तक का समय जानकारी के अभाव में क्षम्य है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से संलग्न है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट्स ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। वेबा बहादुरपाल का निःसंतान फौत होना स्पष्ट है जिसका वसीयती वारिस राघवेन्द्र रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 है। वकील रेस्पोण्डेण्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने से भी यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स की माता के पिता उक्त भूमि में हिस्सेदार रहे हैं जिनका नाम नामांतरकरण में शामिल नहीं किया गया है। श्री रघुनाथपाल की बेवा शान्ति का लाऔलाद फौत होना नामांतरकरण दर्ज करते समय बताया गया है लेकिन अपीलाण्ट्स का कहना है कि शान्ति वेवा रघुनाथपाल लाऔलाद फौत नहीं थी एवं अपीलाण्ट्स की माता अशोक उनकी पुत्री थी जो वक्त नामांतरकरण जिन्दा भी थी। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को पुनः जांच हेतु तहसीलदार करौली को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामांतरण संख्या 207 निर्णय दिनांक 08.03.1986 ग्राम बिचपुरी तहसील करौली राजकुमारी बेवा बहादुरपाल के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। प्रकरण तहसीलदार करौली को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि प्रकरण में पुनः जांच कर 2 माह में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:16:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: